न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/2021

श्रीराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी कुआ बागवाला जमात के पास उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. बुद्धवारीलाल पुत्र भानाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली कुआ बागवाला, जमात के पास उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. कजी पत्नी बालूराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी सेहरावाली ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3. कमला पत्नी रामेश्वर उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी सेहरावाली ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4. तहसीलदार उदयपुरवाटी जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 31.1.2013
को निरस्त कराने हेतु

उपस्थितिः–

1. श्री फूलचन्द सैनी , एडवोकेट ––––– –––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से एकपक्षीय सुना गया।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.8.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2387 आदेश दिनांक के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरकरण संख्या 2387 आदेश दिनांक 30.1.2013 तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश कानून व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं माननीय न्यायालय एसडीओ उदयुपरवाटी द्वारा भूमि खसरा नंबर 692 ... के स्थगन आदेश होने एवं मौके पर समस्त खसरा नंबर 692 में 75 प्रतिशत हिस्से ... स्वयं अधीनस्थ अधिकारी इस स्थगन आदेश में पक्षकार होने के बावजूद मौके का निरीक्षण ... बिना जानबूझकर नामान्तरकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

गलत नाम दर्ज कर दिये हैं। अपीलांट व उसके सगे भाई परिवार पिछले 30 वर्षों से भूमि खसरा नंबर 692 ग्राम उदयपुवाटी में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा भानााराम व उसके भाइयों की स्वअर्जित है। प्रत्येक भाई का 1/4 हिस्सा है। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पिता सगे भाई हैं रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 अपीलार्थी के पिता व रेस्पोडेंट नंबर 3 सोतेली बहिन हैं। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेंट नंबर 1 के पिता की मृत्यु भी सन 2004 के पहले हो गई थी इसके पश्चात भानाराम की भूमि का विरासतन नामान्तरकरण भरा जाता है और इसी विरासतन नामान्तरकरण को गलत भरने के कारण ही यहां विवाद पैदा होता है।

अपीलांट का कथन है कि भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस उसके दोनों पुत्र ही थे। भानाराम की मृत्यु उपरांत तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका उदयपुरवाटी ने भी मूलाराम एवं बुधवारी मात्र दो ही वारिसों के नाम से जारी किया। भूमि खसरा नंबर 692 क्षेत्रफल 0.52 हैक्टर में भानाराम का 1/4 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में यह सहवन से 9 बिस्वा ही दर्ज है। जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है। अर्थात भानाराम के हिस्से में 0.13 हैक्टर भूमि आती है। परन्तु सहवन से 9 बिस्वा 0.11 हैक्टर भूमि ही दर्ज हुई है। रेस्पोडेंट नंबर 1 द्वारा ही माानननीय न्यायालय एसडीओ उदयपुरवाटी के यहां उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 692 पर दिनांक 10.1.2013 को स्थगन आदेश लिया था जिसमें रेस्पोडेंट नंबर 4 भी पक्षकार था। स्थगन के बावजूद रेस्पोडेंट ने नामांतरकरण संख्या 2387 दर्ज कर कोर्ट की अवमानना की है। भानाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण 2387 दिनांक 30.1.2013 में रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 का नाम गलत दर्ज किया गया है जो भानाराम की मृत्यु के 10 वर्ष बाद दर्ज किया गया है। नामांतरण कब्जा के आधार पर ही दर्ज होना चाहिए था। रेस्पोडेंट नंबर 4 ने कजी एवं कमला को वारिस गलत माना है। वह स्व. भानाराम की संतान नहीं है। अपीलार्थी के पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नंबर 692 में स्व. भानाराम का 1/4 हिस्सा है उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.1.2013 में कजी एवं कमला नामक महिलाओं का नाम हटाया जाने के आदेश फरमावें अथावा नामान्तरकरण संख्या 2387 को निरस्त करने के आदेश फरमावें

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नंबर 692 का 1/8 हिस्सा भानाराम के पुत्र बुधवारी के नाम तथा खसरा नंबर 692 का 1/8 हिस्सा कब्जा के आधार पर स्व. मूलाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया तथा अपीलार्थी के हक में अन्य कोई सिद्धि हो तो फरमायी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— नामान्तरकरण संख्या 2387 आदेश दिनांक 30.1.2013 तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश कानून व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं माननीय न्यायालय एसडीओ उदयुपरवाटी द्वारा भूमि खसरा नंबर 692 उदयपुरवाटी के स्थगन आदेश होने एवं मौके पर समस्त खसरा नंबर 692 में 75 प्रतिशत हिस्से में आबादी है स्वयं अधीनस्थ अधिकारी इस स्थगन आदेश में पक्षकार होने के बावजूद मौके का निरीक्षण किये बिना जानबूझकर नामान्तरकरण में गलत नाम दर्ज कर दिये हैं। अपीलांट व उसके सगे भाई परिवार पिछले 30 वर्षों से भूमि खसरा नंबर 692 ग्राम उदयपुवाटी में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा भानाराम व उसके भाइयों की स्वअर्जित है। प्रत्येक भाई का 1/4 हिस्सा है। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पिता सगे भाई हैं रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 अपीलार्थी के पिता व रेस्पोडेंट नंबर 3 सोतेली बहिन हैं। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेंट नंबर 1 के पिता की मृत्यु भी सन 2004 के पहले हो गई थी इसके प्श्चात भाना की भूमि का विरासतन नामान्तरकरण भरा जाता है और इसी विरासतन नामान्तरकरण को गलत भरने के कारण ही यहां विवाद पैदा होता है।

अपीलांट का कथन है कि भानाराम की मृत्यु के प्श्चात उसके वारिस उसके दोनों पुत्र ही थे। भानाराम की मृत्यु उपरांत तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका उदयपुरवाटी ने भी मूलाराम एवं बुधवारी मात्र दो ही वारिसों के नाम से जारी किया। भूमि खसरा नंबर 692 क्षेत्रफल 0.52 हैक्टर में भानाराम का 1/4 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में यह सहवन से 9 बिस्वा ही दर्ज है। जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है। अर्थात भानाराम के हिस्से में 0.13 हैक्टर भूमि आती है। परन्तु सहवन से 9 बिस्वा 0.11 हैक्टर भूमि ही दर्ज हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट नंबर 1 द्वारा ही माननीय न्यायालय एसडीओ उदयपुरवाटी के यहां उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 692 पर दिनांक 10.1.2013 को स्थगन आदेश लिया था जिसमें रेस्पोडेंट नंबर 4 भी पक्षकार था। स्थगन के बावजूद रेस्पोडेंट ने नामांतरकरण संख्या 2387 दर्ज कर कोर्ट की अवमानना की है। भानाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण 2387 दिनांक 30.1.2013 में रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 का नाम गलत दर्ज किया गया है जो भानाराम की मृत्यु के 10 वर्ष बाद दर्ज किया गया है। नामांतरण कब्जा के आधार पर ही दर्ज होना चाहिए था। रेस्पोडेंट नंबर 4 ने कजी एवं कमला को वारिस गलत माना है। वह स्व. भानाराम की संतान नहीं है। अपीलार्थी के पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नंबर 692 में स्व. भानाराम का 1/4 हिस्सा है उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.1.2013 में कजी एवं कमला नामक महिलाओं का नाम हटाया जाने के आदेश फरमावें अथावा नामान्तरकरण संख्या 2387 को निरस्त करने के आदेश फरमावें।

भूमि खसरा नंबर 692 का 1/8 हिस्सा भानाराम के पुत्र बुधवारी के नाम तथा खसरा नंबर 692 का 1/8 हिस्सा कब्जा के आधार पर स्व. मूलाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया तथा अपीलार्थी के हक में अन्य कोई सिद्धि हो तो फरमायी जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.1.2013 में गलत वारिस दर्ज करने के कारण अपीलांट ने नामांतरकरण को निरस्त कराना चाहा है। वारिसान का बिन्दु सक्षम न्यायालय से तय होना है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की नामांतरकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में जहां तक नामांतरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.1.2013 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है। अपीलांट ने अपील मेमों में कजी और कमला को गोपीराम पुत्र मांगुराम की पुत्रियां होने का कथन किया है और गोपीराम की पत्नी [illegible] भानाराम नामक व्यक्ति से दूसरी शादी करना एवं भानाराम से दो पुत्र मूलाराम व बुधवारी पैदा होने का कथन किया है। उक्त नामान्तरकरण भानाराम के वारिसान के नाम भरा गया है। भानाराम के सही वारिसान के बिन्दु को तय किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सक्षम न्यायालय से वारिसान के बिन्दु को तय कराना होगा जो दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत बाद साक्ष्य तय होना है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में जो कथन किये गये हैं वह केवल मौखिक साक्ष्य है इसकी ताईद किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती । ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट के मौखिक कथनों पर विश्वास करके नामांतरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.1.2013 को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested